>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Prevention and Control of Iinfection and Contagious Diseases in Animal Bill, 2008(Bill Passed).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (DR. AKHILESH PRASAD SINGH):

Sir, on behalf of Shri Sharad Power, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the prevention, control and eradication of infectious and contagious diseases affecting animals, for prevention of outbreak or spreading of such diseases from one State to another, and to meet the international obligations of India for facilitating import and export of animals and animal products and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to provide for the prevention, control and eradication of infectious and contagious diseases affecting animals, for prevention of outbreak or spreading of such diseases from one State to another, and to meet the international obligations of India for facilitating import and export of animals and animal products and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken [U24]into consideration."

13.10 hrs.

(Dr. Laxminarayan Pandey *in the Chair*)

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति महोदय, वास्तव में माननीय मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, वह बहुत आवश्यक है। यह भी सही है कि इसे पहले लागू हो जाना चाहिए था। जो उस क्षेत्र से परिचित हैं, उन्हें मालूम है कि 1924 में अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत जो ओआईई का गठन हुआ था, भारत उसका सदस्य देश है। ओआईई के प्रमाणीकरण के बिना पशु और पशु उत्पादों का कोई निर्यात एवं आयात नहीं हो सकता है, यह ऑब्लीगेटरी भी है। इसके तहत सरकार को कदम उठा कर कार्यवाही करनी चाहिए थी। सब को मालूम है कि पिछले समय में दुनिया में एक बीमारी लोगों की चर्चा में आई और उस चर्चा के दौरान लोगों की समझ में आया कि जानवरों के अंदर जो बीमारी होती है, उसका उपचार और उसकी दशा को ध्यान में रखना चाहिए। फूट एंड माउथ डिसीस, यह एक ऐसी डिसीस थी, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इसका इलाज मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरेली के अंदर एक इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें इसकी शुरुआत हुई और दुनिया में उसे मान्यता मिली।

सभापति महोदय, हम यह भी देख रहे हैं कि जब कभी भी अखबार में बर्ड फ्लू की चर्चा सुनने को मिलती है तो लाखों की तादाद में हत्याएं की जाती हैं। जो गरीब किसान होता है, जो इनका पालन करता है, उसकी आर्थिक स्थिति निरंतर खराब हो जाती है। उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए यह बिल आवश्यक था, इसे आना चाहिए था। हम यह इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की रीढ़ किसान है और अगर किसान को हमने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया तो हम वास्तव में देश की जो दशा और दिशा होनी चाहिए, उसमें दिक्कत होती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि धान और गेहूं से जितना हम अर्थ पैदा करते हैं, जितनी हम इससे व्यवस्था करते हैं, दूध, मांस और जो गोश्त है, उससे भी हम जो अर्थ प्राप्त करते हैं, उससे कम नहीं है, उसके बराबर ही है। जहां तक मेरी जानकारी है एक लाख 75 हजार करोड़ रुपए की पशुधन से सरकार को आय होती है। मतलब, देश की व्यवस्था में यह धन लगता है। इसके बाद भी दुर्भाग्य यह है कि जो पशुपालन अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था में है,

इसका जो प्लान आउटले है, वह निरंतर कम हो रहा है। अगर हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि नौवे फाइव ईयर प्लान में 0. 48 प्रतिशत था और दसवें प्लान में वह 0. 28 प्रतिशत रह गया तथा आगे 11वें प्लान में भी इसमें कोई बढ़ाने की व्यवस्था नहीं की गई है, उतना ही रखा गया है। जब कि हमारा देश दुनिया के दुग्ध उत्पादन देशों में एक प्रमुख स्थान रखता है, पहला या दूसरा स्थान रखता है। इस बात से सभी परिचित हैं।

सभापति महोदय, अगर सरकार अब इस तरफ ध्यान नहीं देगी तो कब देगी? मैंने जैसे पहले कहा, मंत्री जी मेरी बात सुन रहे हैं कि मैं बरेली का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां दुनिया का माना हुआ एक इंस्टीट्यूट है - आईवीआरआई। काफी लम्बे समय से मांग की जा रही है कि वहां आईसीएआर, जो इंडियन काउंसिल फोर एग्रीकल्चर रिसर्च है, उससे इस वेटरनरी रिसर्च को अलग किया जाए। अभी कुछ दिन पहले हमारे वेटरनरी रिसर्च के वैज्ञानिकों और छात्रों ने आमरण-अनशन किया। मैं वहां गया था और मैं इस बात को अच्छे तरीके से समझता हूं कि वास्तव में अगर हम देश की तरक्की करना चाहते हैं तो इंडियन काउंसिल फोर एग्रीकल्चर रिसर्च से इंडियन काउंसिल फोर वेटरनरी रिसर्च को अलग करना चाहिए। अगर आप वेटरनरी रिसर्च अलग करेंगे तो पशु और पशुओं के उत्पाद के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं तथा उसके हिसाब से कुछ काम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, वास्तव में यह जो बिल है, इसमें बहुत सी बातें हैं, परन्तु जमीन पर अगर आप देखें तो शायद उसका आज के समय में क्या प्रयोग होता है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। मुझे इस बिल में थोड़ी सी आपति जरूर है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बारे में निश्चित रूप से बताएं। इसमें जो अध्याय-एक है, उसमें दो नम्बर पर जो परिभाषाएं लिखी हैं, उसमें पशु से अभिप्रेत है - ढोर, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन और उसके बाद कुत्ता, बिल्ली, सुअर, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, कुक्कुट और मधुमक्खी लिखा हुआ है। [S25]

[r26]सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि "ढोर" शब्द का क्या अर्थ है। हम तुलसीदास के कथन का उल्लेख करते हैं, लेकिन मैं यहां उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। वास्तव में इस शब्द को लिखते समय सोचना चाहिए था कि हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गाय या गौवंश को इसमें नहीं जोड़ा, क्योंकि हम मानते हैं कि गाय और गौवंश जानवर नहीं है। हम उन्हें पूजते हैं और गाय को माता के समान मानते हैं। वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में हम जानते हैं कि गाय का क्या महत्व है। दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ी संख्या भैंस की है। उसके बाद गाय और गौवंश का नंबर आता है। हम यह जरूर चाहेंगे कि इसमें गाय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस संबंध में कैसे वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इसके बारे में जानकारी दी जाए कि इस बारे में गवर्नमेंट की क्या राय है?

माननीय मंत्री जी, मैं जिस सूबे से आता हूं, वहां आदमी का इलाज तो हो नहीं पाता है, जानवर का इलाज कैसे होगा और वह भी तब, जब कि निरीह जानवर है। अस्पतालों में दवाएं नहीं, डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं। आप जानवर को लेकर जाइए, जिस गरीब के पास खाने तक को नहीं है, वह गरीब कैसे अपने जानवर का इलाज कराएगा और फिर जानवर जिस स्थिति में आता है, वह वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यिपूर्ण स्थिति होती है। उत्तर प्रदेश में तो मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी डिस्पेंसरी को देख लीजिए यही स्थिति है। वहां एक ब्लॉक में केवल एक ही डिस्पैंसरी होती है और उसमें पूरे ब्लॉक के 100 या 200 गांवों के जानवर लेकर जाएं, तो देखना और न देखना बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जो व्यवस्था कर रहे हैं, वह कहीं आर्थिक व्यय जोड़ने का काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं प्लान आउटले बढ़ाने का काम तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए कोशिश करें कि इसे एक सही दिशा में लेकर जा सकें। यदि ऐसा नहीं होगा, तो यह कोई बहुत बढ़िया बात नहीं होगी।

महोदय, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज खेती लाभकर जोत नहीं है। सीलिंग के बाद खेती निरन्तर कम होती जा रही है और अगर आप ध्यान दें और देखें, तो पाएंगे कि गांव के अंदर जो किसान रहता है, वही तरक्की कर रहा है, वही प्रगति कर रहा है, जिसके घर पर जानवर है, जिसके घर पर दूध देने वाला जानवर है। जैसा कि आप सबकी जानकारी में है, एन.डी.ए. की सरकार के समय माननीय अटल जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में आने-जाने के साधन बनाने हेतु 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' की बात की थी और आज जब हर गांव में सड़क पहुंच गई है, तो आदमी अपनी साईकल और मोटरसाईकल पर रखकर दूध लाकर शहरों में बेचता है और इससे अपनी आय पैदा करता है तथा अपने बच्चों का पठन-पाठन कराता है और अपने परिवार की प्रगति करता है। आज अगर किसी के पास जानवर है, तो तरक्की होगी और अगर जानवर नहीं है, तो तरक्की नहीं होगी। जानवर की आप किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, इसमें मुझे जरूर संकोच और संशय है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में आज स्लॉटरिंग बहुत हो गई है। हर जिले में, हर शहर में, जायज तरीके से, नाजायज तरीके से, जानवरों को काटा जा रहा है और उसमें गौवंश को ज्यादा काटा जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर आप कुछ सख्ती बरतें। राज्य सरकारों में इच्छा शक्ति के अभाव के कारण वे इसमें कोई सख्ती नहीं कर पा रही हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा जानवरों का आदान-प्रदान होता है। अगर आप ध्यान दें, तो जिन ग्रामीण क्षेत्र के गांवों में जानवर बिकते हैं। उनका वहां पर कोई टैस्ट नहीं होता है कि वे बिक्री के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, या उनके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। मुझे मालूम है कि जहां स्लॉटरिंग होती है, वहां पर डॉक्टर होते हैं; वहां पशु-चिकित्सक होते हैं और केवल उनकी सेवा कर दीजिए, तो वे बिना देखे-भाले परमिट कर देते हैं कि ये जानवर कटने लायक है, फिर भले ही वह कटने लायक हो या न हो।

महोदय, इसके साथ मेरा मंत्री जी को एक सुझाव है कि देश के अंदर जो गौ-शालाएं काम कर रही हैं, जो इस दिशा में अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें भी मजबूत करने की जरूरत है। मैं अपने क्षेत्र में देखता हूं कि कहीं से भी अगर जानवर पकड़े जाते हैं और ऐसी गाय पकड़ी जाती हैं, तो उन्हें रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री संतोष गंगवार : महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

पकड़ी गई गायों को रखने का कोई इंतजाम नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को एक सही दिशा में ले जाने का काम होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि यदि इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, अगर यह तय नहीं किया गया कि वास्तव में जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है, उसकी मंशापूर्ण होती है या नहीं, तो कोई प्रगति नहीं होगी। देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि जानवर जाएंगे, तो बिना परीक्षण के नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से राज्यों में ट्रैफिकिंग होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जानवर जाते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 10 वर्ष पहले मैं इस मंत्रालय की यानी ऐग्रीकल्चर स्थाई कमेटी का अध्यक्ष था। इसलिए मुझे सारी बातें मालूम हैं और मुझे सारी बातों की जानकारी है। [r27] कि अगर वास्तव में हमने गौ और गौवंश की चिन्ता नहीं की तो हमारा देश सही प्रगति नहीं कर सकता है और हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठने का काम नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वास्तव में ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो जानवर का इलाज, एक जानवर की बिक्री, दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में जानवर का जाना, तीसरे क्योंकि स्थानीय आधार पर स्थानीय पुलिस और स्थानीय डॉक्टर देख नहीं पाते हैं, आदमियों के डॉक्टर तो कम हैं और पशु चिकित्सक निरन्तर और कम होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और राज्य सरकारें जो अस्पतालों को चलाती हैं, उनको नियंत्रित करने, उनको देखने की कि उनके अन्दर सही व्यवस्था हो रही है कि नहीं और एक

ब्लाक में एक अस्पताल न होकर इसके सैण्टर्स बढ़ाये जायें।

मैं यहां एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं, मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज अगर कुत्ता काट ले और रैबीज़ की बात होती है तो उसका इलाज तक लोग नहीं करवा पाते हैं तो फिर क्या कोई ऐसा इन्तजाम नहीं हो सकता कि जैसे अब हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि पूरे देश के अन्दर हमने पल्स पोलियो की एक मुहिम चलाई तो क्या जानवरों के लिए देश में हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि बीमारी का कोई प्रिवेंटिव एक्शन उठा लें। पल्स पोलियो की तरह जितने कुत्ते हैं, उन सब को इंजैक्शन लगा दें, जिससे कि उस हिसाब से काम न हो और उसको नियमित अपने हिसाब से चलाने का काम करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सी बातों में हमें लाभ भी मिलेगा और हम सही ढंग से आगे दिशा में चल पाएंगे, तभी वास्तव में इस बिल का जो बिल हम ला रहे हैं, इसका सही उपयोग कर पाएंगे और वास्तव में इस दिशा में काम कर पाएंगे। हम जो विधेयक लेकर आये हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही हो रहा है और उसका लाभ भी हमको मिल रहा है, यह देश की अर्थव्यवस्था में जुड़ाव करने का एक मुख्य रास्ता और तरीका है, ऐसा मैं मानता हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Respected Mr. Chairman, Sir, we are discussing the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Bill, 2005. This Bill has already been passed by the other House. I am sure, wise counsel must have been adhered to by the Government now.

This Bill intends to provide for prevention, control and eradication of infectious and contagious diseases affecting animals, for prevention of outbreak or spreading of such diseases from one State to another, and to meet the international obligations of India for facilitating import and export of animals and animal products and for matters connected therewith or incidental thereto.

It also intends for adoption of improved animal husbandry practices by the livestock owners coupled with timely immunizations and treatment of affected animals along with effective prevention of spread of disease pathogens from an infected area to other areas can result in reducing incidence of the communicable diseases significantly.

We know how the cattle-folk and the cattle stocks are very much important for the economic life of our country. I am of the opinion that there is an international obligation and also there is a need to do away with the absence of a uniform legislation in the country which has prompted the Government to come up with this Bill.

There is a need to control the major infectious and contagious diseases in animals. Foot and mouth disease and anthrax are major diseases. Adequate steps need to be taken and the law is to be in place.

Although steps have been taken for control and prevention of animal diseases since the Second Five Year Plan, yet these diseases still continue to be serious threats to the livestock sector.

India is a member of the Office International Des Epizooties (OIE), Paris. For import and export of animals and animal products including milk, eggs, meat and other products and by-products, recognition by the OIE as regards free from particular disease or diseases in the country is necessary. [R28] [R29] The provisions of the International Animal Health Code of OIE are binding on member countries for the purpose of international trade in animals and animal products. The WTO and the Codex Alimentarius also recognise these provisions of the IAHC of OIE. Therefore, it has become necessary on our part to undertake necessary legislative measures to meet its obligations so as to enjoy the benefits under the International Animal Health Code. Therefore, this legislation is very much necessary.

Nowadays, the movement and transportation of animals from one part of the country to another having become faster, the spread of contagious diseases has also become easier. Therefore, suitable legislation under Article 253 of the Constitution for the prevention of infectious and contagious diseases in animals is necessary which will make a uniform law throughout the country.

There is a need to effectively control and contain infectious and contagious animal diseases including zoonotic diseases and thus prevent the spread of such diseases.

There was a time in early 20th century when a particular person, because of genetic characteristics or other specifics, can act as carrier of a disease without ever contracting it himself. An Irish cook named Mary Marton was better known as "Typhoid Mary." Such carrier can also be so with animals too. Infinitely, more despicable than Typhoid Marry are terrorists and rogue nations who may wage a biological warfare. Because of this, the spread of the animal diseases through animals, meat and meat products can spread biological warfare.

After the 9/11 terrorist attack on WTO and Pentagon, a series of letters containing anthrax spores showed up around the United States and exposure to the disease led to a handful of death. So, now this is very much serious. Rightly, the Government has

come up with this legislation. Of course, it is late but this is quite necessary.

We know that animals and livestock are very much important in our country's economic life, rural life and agricultural operations. The agriculturists depend upon the livestock for their agricultural operations. For the dairy products and for the healthcare of our children, we sufficiently depend on this livestock. But this disease and the spread of this disease sometimes has come in the way of development. It hampers the economic growth. I would request the hon. Minister to just look into this aspect of price of the medicines for the animals in general and, in particular, for the livestock of the cattle. This is very much needed for our animal and the rural economy. Now, the price of the medicines is quite high. The price of the life-saving medicines for the animals is sky high. So, it is not possible for the poor agriculturists to maintain their livelihood. They depend on the cattle. It is not possible for them to maintain cattle, etc. It is also not possible for them to purchase medicines to prevent the diseases of the animals. So, the Government should look into this aspect. There is no such arrangement by the Government to subsidise these medicines.[R30]

We are witnessing that these medicines are not available in veterinary hospitals and the State Governments are also not paying serious attention to this problem. So, mere passing of this legislation is not sufficient if the Government does not pay attention to all the other aspects. So, I would request the Government to see that prices of these medicines are brought under control and also to see that these are available for the people to purchase. Otherwise, it will be meaningless.

Therefore, the hon. Minister should look into these aspects and the Government should subsidise these medicines so as to effectively control these diseases in animals.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह): सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि संतोष गंगवार साहब और बृज किशोर त्रिपाठी साहब ने एकमत से इस बिल को सपोर्ट किया है। दोनों सम्मानित सदस्यों ने इस बिल की उपयोगिता के बारे में बात की है। यह बिल पहले आना चाहिए, इसे मैं मानता हूं और सरकार भी मानती रही है। सन् 1990 से इस बात की चर्चा चल रही थी कि यह बिल पास होना चाहिए। यूपीए सरकार के गठन के बाद सन् 2005 में यह बिल राज्य सभा में इंट्रोडयूस किया गया था और जो परम्परा है, उस परम्परा के अनुसार इसे स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द किया गया और उसमें लगभग तीन साल लगे। स्टैंडिंग कमेटी का जो सुविचारित मत था, उसके अनुसार माननीय सदस्यों ने इस बिल के संदर्भ में 18 रिकमैंडेशन्स कीं। सरकार ने 10 रिकमैंडेशन्स मान लीं, 8 रिकमैंडेशन्स जिन्हें हमने नहीं माना, उनके बारे में मैं साफ करना चाहता हूं कि उन पर रूल बनाते समय हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। संतोष गंगवार साहब ने ढोर के संदर्भ में यहां एक प्रश्न उठाया। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि शायद उन्होंने इंग्लिश वर्शन नहीं देखा होगा। उसमें जो डैफिनेशन है, जिसमें इंग्लिश में कैटल लिखा है, cattle includes cows, bulls and bullocks, बिल के हिन्दी वर्शन में कैटल का रूपांतर ढोर किया गया है क्योंकि कैटल के अंतर्गत गाय भी आती है। इसलिए हमने उसे नहीं लिखा। हम लोग गाय को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। इस बिल का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कनटेजिअस एवं इनफैक्शियस रोगों को प्रकोप के देश के एक भाग से दूसरे भाग में फैलने से रोकना है। पशुधन से संबंधित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कनटेजिअस एवं इनफैक्शियस रोगों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से देश और देश के किसानों को उस नुकसान से कम करके देश के भीतर कंट्रोल्ड और इरैडिकेटेड माहौल स्थापित करना है।[N31]

इस बिल का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोक स्वास्थ्य के तहत महत्व वाले पशु रोगों को राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित करना तथा भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करके पशुओं तथा पशु उत्पादों का आयत करना। यह इस बिल का उद्देश्य है। एक बात मैं और साफ करना चाहता हूं, संतोष गंगवार जी अभी सदन से चले गये हैं, उन्होंने कहा कि लाइव स्टॉक सैक्टर से एक लाख 75 हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती है। वर्ष 2006-07 में हमारे देश को लाइव स्टॉक सैक्टर से उससे ज्यादा यानी 2 लाख 11 हजार करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। यूपीए सरकार के आने के बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चर सैक्टर में, लाइव स्टॉक सैक्टर में कई करैक्टिव मेजर्स लिये हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह सही है कि हम चार परसेंट का ग्रोथ रेट एचीव नहीं कर पाये। हम सिर्फ 2.4 परसेंट ही ग्रोथ रेट एचीव कर पाये। लेकिन वर्ष 2007-08 और 2008-09 में हमारे देश के किसानों को और यूपीए सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, उसमें हम आज बढ़ोतरी करके इस स्थिति में पहुंचे हैं कि न केवल बफर नार्म्स से ज्यादा बल्कि हमारा भंडार भरा हुआ है। इसी सदन में पिछले साल या उससे पहले हम लोगों पर आरोप लगता था कि हम गेहूं दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं। लेकिन आज हम ऐसी स्थिति में हैं, आज हमारे पास इतना गेहूं और चावल है कि न केवल बीपीएल, एएवाई में हम सारे स्टेट्स को गेहूं दे रहे हैं, बल्कि एपीएल की भी जो डिमांड आ रही है, उसे भी हम पूरा करने में सक्षम हैं।

मैं यहां बताना चाहता हूं कि लाइव स्टॉक सैक्टर में दूध की चर्चा संतोष गंगवार और त्रिपाठी साहब ने की। पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में भारत नम्बर वन है। जितनी आमदनी हमारे देश के किसान धान और गेहूं से प्राप्त करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आमदनी दूध से इस देश को होती है। लाइव सैक्टर से हमारे गरीब भाइयो-बहनों को जो रोजगार मुहैया होता है, उसकी संख्या भी काफी बढ़ी है। फिर अंड़े और ब्रॉयलर के उत्पादन में भी हमारा देश दुनिया में तीसरे या चौथे नम्बर पर आता है। उससे भी बड़ी आमदनी होती है। पिछले दिनों हम लोगों ने बर्ड फ्लू के दंश को झेला है। पहले गुजरात, महाराष्ट्र, असम, बंगाल और दूसरे प्रदेशों में भी बर्ड फ्लू फैला। बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाने के लिए पांच लाख से ज्यादा मुर्गियों को खत्म किया गया।[MSOffice32] इससे कितना नुकसान हुआ, निश्चित तौर पर मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन जितना भी नुकसान हुआ, खासकर रूरल इकोनॉमी के लिए, वह सरकार के लिए चिंता का विषय था। इसलिए सरकार यह समझती है कि इस बिल को लाना बहुत ही आवश्यक है। इसी के तहत हमने राज्य सभा में यह बिल रखा था। वहां पर माननीय सदस्यों ने एकमत से इस बिल की उपादेयता और उपयोगिता के बारे चर्चा की और इस बिल पर मुहर लगाने का काम किया है। मैं यहां भी यही अपेक्षा करता हूं।

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Prices of medicines are very high. What steps are you taking to control them?

DR. AKHILESH PRASAD SINGH: I am just coming to that.

मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां भी सभी माननीय सदस्य इस बिल को एकमत से पारित करेंगे। त्रिपाठी साहब ने जिन बातों की चर्चा की है, मैं बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने इसके लिए मुख्य रूप से दो प्रोग्राम्स - एफएमडी कंट्रोल प्रोग्राम और एएसीएडी प्रोगाम - के रूप में सभी स्टेट्स को भेजा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल नहीं है। जब रूल्स फार्मूलेट होंगे, इसमें दण्ड का प्रावधान किया गया है। आजकल वैक्सीनेशन के लिए कहीं भी पूरी तरह छूट है, लेकिन जब यह बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो नीम हकीम खतरे जान वाली प्रवृति हटेगी। इसलिए मैं इस सदन से अपील करता हूं कि इस बिल को एकमत से पारित करें जिससे लाइव स्टॉक सेक्टर में एक नई क्रांति आए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संतोष गंगवार : मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि बिल के हिन्दी वर्जन को आथेंटिक माना जाए या फिर इंगलिश वर्जन को? आपने ढोर शब्द की परिभाषा अंग्रेजी में तो कर दी, लेकिन हिन्दी में नहीं की? ढोर शब्द को हिन्दी में किस रूप में लिया जाता है, मैंने केवल इतना ही कहा है। आपका धन्यवाद कि आपने कहा कि पशु से आय बढ़ रही है। यह बात बिल्कुल सही है और यह भी सही है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति होगी। यह राज्य का विषय है, यह बात भी समझ में आती है, लेकिन इसको लागू कैसे करेंगे? मैंने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पशु जाते हैं, जो स्लाटर हाउसेज में अवैध रूप से कटने के लिए जाते हैं, खासतौर से गौवंश के पशु जो काटे जाते हैं और जिनकी निरंतरता बढ़ती जा रही है। यह स्थिति तब है जब हमें यह लग रहा है कि देश की प्रगति के लिए दूध एक महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में काम कर रहा है। ब्रॉयलर वगैरह के बारे में आपने बताया है। मैंने जानबूझकर भारत का पहला स्थान नहीं कहा है क्योंकि पहला और दूसरा स्थान तो काफी समय से रहा है। फिर भी हमारे देश में आम आदमी के लिए दूध की व्यवस्था आबादी के हिसाब से नाकाफी है। हम इसको बढाएं नहीं, इसको दुरूस्त न करें और बाद में हम यह कानून लगाएं। कानून बहुत अच्छा है, इसे लागू होना चाहिए, हमें यह बात समझ में आती है। इससे किसी का विरोध नहीं है। लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि यह राज्य का विषय है और केवल राज्य ही इसके विषय में जानें। नीम हकीम जानवरों का इलाज कम करते हैं, आदमियों का ज्यादा करते हैं। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ऐसा ही होता है। [R33] [R34] आप छोड़ दें तो यह अलग बात है, लेकिन जानवर एक निरीह प्राणी है, उसका उपचार सही हो, उसकी देखभाल सही हो, इसके लिए कोई न कोई तरीका अपनाकर इसे सुनिश्चित करने का काम करें।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): सभापति महोदय, यह एक बहुत अच्छा बिल है और मैं इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

I would put only one question regarding the definition of 'defective vaccine'. Kindly see Clause 2 (f) –it says – "defective vaccine" means any vaccine which is expired, breach in seal, contaminated, improperly stored, unlabelled or with mutilated label.

इतनी सी बात है, मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पशुधन है। वहां पर जो वैक्सीन की सप्लाई होती है, वह स्पूरियस कम्पनीज द्वारा होती है। उसे रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उसके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

Kindly see Clause 3, it is mentioned that the State Government may, by notification, appoint such number of persons, as it deems proper, to be veterinarians.

आप जो वेटेरेनरेरियन देंगे, उसकी बहुत शार्टेज है इसलिए उसे दूर करने का प्रावधान करें।

श्री संतोष गंगवार : वेटरनरी की जो नेशनल कौंसिल बनाने की बात है, उसके बारे में आपकी क्या राय है?

सभापति महोदय : आप अब बैठ जाएं, मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, राज्य सभा में भी आईसीएआर से इसे अलग करने का सवाल उठा था। इसके बारे में कृषि मंत्री शरद पवार जी ने आश्वासन दिया था कि हम तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन करेंगे। मुझे खुशी है कि डा. अलख की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है और वह इस पर अध्ययन कर रही है। माननीय सदस्य ने पूछा है तो उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने इसमें दंड का प्रावधान किया है। जो भी इस तरह का काम करेगा उसके लिए 2,000 रुपए का जुर्माना और कुछ महीनों की सजा का प्रावधान है। आगे जब इस रूल को फार्मूलेट किया जाएगा, तब आपके सुझावों पर विचार किया जाएगा।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, यह प्रसन्नता का विषय है कि मूक प्राणियों की सरकार का ध्यान गया है। राजस्थान में ऊंट बहुतायत में पाए जाते हैं। उन्हें कई किस्म की बीमारियां भी होती हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऊंटों की नस्ल सुधारने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, विशेषकर राजस्थान के प्रसंग में मैं पूछना चाहता हूं? इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में पाए जाने थारपारकर और निरकर जो बैल आदि हैं, उनकी संख्या में गिरावट आ रही है। इसलिए पशुधन की रक्षा करने के लिए और उनकी नस्ल सुधारने का सरकार क्या प्रयास कर रही है?

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह: इसका सवाल तो गंगवार जी के सवाल के उत्तर में ही दे दिया गया था कि इसके लिए सरकार स्टडी कर रही है।

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): सभापति महोदय, मंत्री जी ने सदन में एक बहुत अच्छा बिल पेश किया है। पशुधन की सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन जो पशुओं का वध हो रहा है, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज गाय और भैंस की कीमत उनके मीट से भी कम रह गई है। पशुओं के मीट का जो निर्यात हो रहा है, उस बारे में सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए, तब जाकर अवैध रूप से पशुओं का वध बंद होगा। क्या सरकार इस बारे में कोई नीति बनाएगी?

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह: मैंने पहले भी कहा है कि जब फार्मूलेट किया जाएगा, तब सभी माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the prevention, control and eradication of infectious and contagious diseases affecting animals, for prevention of outbreak or spreading of such diseases from one State to another, and to meet the international obligations of India for facilitating import and export of animals and animal products and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up clause-by-clause consideration.

The question is:

"That clauses 2 to 45 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 45 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill

Clause 1 Short Title, Extent and Commencement

Amendment made:

Page 2, line 9, --

for "2008", *substitute* "2009". (2)

(Dr. Akhilesh Prasad Singh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 2, line 5, --

for "Fifty-ninth", *substitute* "Sixtieth". (1)

(Dr. Akhilesh Prasad Singh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Preamble and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister may move that the Bill, as amended, be passed.

DR. AKHILESH PRASAD SINGH: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.